(7)

2.2

एस.सी.पी.

संख्या 827/ III-2/06-76(प्रा.आ.)/05टी.सी.।

प्रेषक,

टी0के0 पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादून, दिनांक 28 मार्च, 2006

विषय:- वित्तीय वर्ष 2005-06 में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (एस.सी.पी.) के अन्तर्गत 69(उनहत्तर) नये कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची में आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (एस.सी.पी.) के अन्तर्गत 69(उनहत्तर) नये कार्यों के रूपये 7509.24 लाख की लागत के आगणनों पर टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी रूपये 6981.98 लाख (रू0 उनहत्तर करोड़ इक्यासी लाख अठानवे हजार मात्र) की लागत के आगणन को उनके सम्मुख अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उसके सम्मुख, कालम-06 में अंकित विवरणानुसार कुल रू0 0.69 लाख (रू0 उनहत्तर हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-06 में व्यय की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित एवं जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय। भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत मानक है, स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5. एकमुश्त प्राविधान का कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराये जाना सुनिश्चित करें।

7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

8. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय। एक मद से दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

प्रतिलिपि सत्यापित

प्रमोशाप गुप्तियता,
अधीक्षण अभियन्ता

DAO/ 3.4.06

214 (8)

	अल्मोड़ा मे हवालबाग विकास खण्ड के अन्तर्गत खूंट काकड़ीघाट मोटर मार्ग से छाट ग्राम तक लिंक मोटर मार्ग निर्माण	4.00	95.20	71.20	0.01
	अल्मोड़ा मे हवालबाग ब्लाक के अन्तर्गत खूंट काकड़ीघाट मोटर का अनुसूचित बाहुल्य ग्राम सिद्धपुर तक विस्तार	3.00	71.40	53.40	0.01
17.	अल्मोड़ा मे लमगाड़ा वि0ख0 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य ग्राम बजेली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	7.00	156.76	124.60	0.01
	अल्मोड़ा मे लमगाड़ा वि0ख0 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य ग्राम दाड़िमी लड़यारी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	15.00	339.36	267.00	0.01
19.	अल्मोड़ा मे लमगाड़ा वि0ख0 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल्य ग्राम चौतरा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	4.00	95.32	71.20	0.01
	नैनीताल मे चोपड़ा- दूगधार- कूल हल्का वाहन मार्ग तथा मोअर मार्ग का डामरीकरण	6.00	115.00	115.00	0.01
	एस.सी.पी. के अन्तर्गत थल बांतिर मार्ग के कि0मी0 4 से अल्काथल–करेला मोटर मार्ग का नव निर्माण	4.00	71.20	71.20	0.01
22	एस.सी.पी. के अन्तर्गत मुवानी–मोबराड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 2 से चिटगाल ग्राम तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	4.60	93.70	93.70	0.01
23	जनपद हरिद्वार मे अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामो को जोड़ने वाले मार्गो के सुधार कार्य के अन्तर्गत प्रहलादपुर–हस्तमोली मार्ग का सुधार एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	2.53	48.67	48.67	0.01
24.	जनपद हरिद्वार मे अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामो को जोड़ने वाले मार्गो के सुधार कार्य के अन्तर्गत मोरधनपुर–रोहालकी–कर्णपुर मार्ग का सुधार	4.00	40.73	40.73	0.01
25.	जनपद हरिद्वार मे अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामो को जोड़ने वाले मार्गो के सुधार के अन्तर्गत फतेहपुर–जुनार सम्पर्क मार्ग का सुधार	2.30	22.42	22.42	0.01
26.	जनपद हरिद्वार मे इकबालपुर के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों मे मार्गो के सुधार के अन्तर्गत सी.सी. मार्ग	7.60	149.68	144.35	0.01
27.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत उत्तरकाशी मे शौलधार घण्डाला बाली मोटर मार्ग का डामरीकरण 1 500 से 6 500	5.00	53.50	53.50	0.01
28.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत जखड़ से खोला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	1.00	116.60	116.60	0.01

प्रतिलिपि सत्यापित